न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2020

अपीलांट

1. अमरूदेवी बेवा स्व. श्री पूनमाराम, उम्र 55 वर्ष
2. रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री पूनमाराम उम्र 35 वर्ष
3. हनुमानसिह पुत्र स्व. श्री पूनमाराम उम्र 32 वर्ष
4. आसुराम पुत्र छोगारामजी, उम्र 49 वर्ष जातियान विश्नोई, निवासी लाछडी, ग्राम पंचायत हाडेतर, तहसील सांचोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. लक्ष्मणाराम पुत्र श्री राजाराम उम्र 52 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी लाछडी, ग्राम पंचायत हाडेतर, तहसील सांचोर, जिला जालोर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सिकन्दर अली सैयद, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
राजपैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/11/20

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2016 बउनवान अमरूदेवी व अन्य बनाम लक्ष्मणाराम में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील उभयपक्षो की बहस सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सि.प्र.स पर सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 247, 248, 444/247 व 445/248 बंटवाडे के जरिये अपीलांट के हिस्से में आई है। उक्त भूमि पुराने खसरा नंबर 78 व 79 से बने हुए है जो भूमि अपीलांटगण व इनके रिश्तेदारो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा खरीदी हुई है। उक्त भूमि के खरीददार छोगाराम पुत्र थानाराम विश्नोई अपीलांट अमरूदेवी का ससुर अर्थात् पूनमाराम व अपीलांट आंसूराम का पिता था, जिससे इन भूमियो के संबध में जमाबंदी संवत 2029 से 2032, 2066 से 2069, मिलान क्षेत्रफल तथा आपसी बंटवाडा का म्यूटेशन दिनांक 20.11.2016 तथा पुराने खसरा नंबर 77 व 78 मे तथा वर्तमान खसरा नंबर 244, 245, 246 एवं 247 में आने जाने का रास्ता पहले से उतर दिशा की ओर मौके पर होना स्पष्ट करने हेतु इन दस्तावेजो का रेकर्ड पर लेना आवश्यक है। अत मौजा लाछडी के वर्तमान खसरा नंबर 244, 245, 246, 247 की संवत 2066 से 2069 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि बंटवाडा का म्येटेशन दिनांक 20.11.2016 पुराने खसरा नंबर 77 व 78 की जमाबंदी संवत 2029 से 2033 मिलान क्षेत्रफल नक्शा पुराना की फोटो स्टेट वर्तमान नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में निर्णय में आवश्यक है। अत उक्त समस्त दस्तावेजो को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित करावे।

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जो दस्तावेज हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जो कि राजस्व अभिलेख है जो प्रारम्भ से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त अपील के पक्षकार अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे मौखिक या दस्तावेजी पेश करने का हकदार नहीं कर सकते है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने उक्त दस्तावेज पत्रावली में अब तक प्रस्तुत नहीं करने का कोई उचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट ने जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की मंशा से उक्त दस्तावेज हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। अत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सि.प्र.स खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, जिसके कारण उक्त दस्तावेजो का पुनः रेकर्ड पर लिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम लाछडी पटवार हल्का हाडेतर के खसरा नंबर 444/247, 445/248, 247 व 248 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 249

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में से 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने जैर अपील आदेश के अन्तर्गत अपीलांटगण के खेत में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता को आधार बनाया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वैकल्पिक रास्ते के संबध में कोई विस्तृत जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं थी न ही उसका कोई नाप था एवं उसके स्वामित्व व किस्म के बारे में कोई सूचना मौजद नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 14.09.2016 एवं उपखंड अधिकारी सांचौर स्वंय द्वारा निरीक्षण कर बनाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 में अपीलांटगण की खातेदारी में पहुचने हेतु वैकल्पिक रास्ते के बारे मे कोई उल्लेख नहीं होने बावजूद वैकल्पिक रास्ते के अस्तित्व के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रथम रिपोर्ट के पश्चात स्वयं मौके पर जाकर तैयार की गई दूसरी रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हस्ताक्षर होने के बावजूद उनके द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मनमानी मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाते हुए अपीलांटगण को रास्ता दिलवाने का आदेश फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम लाछडी पटवार हल्का हाडेतर के खसरा नंबर 444/247, 445/248, 247 व 248 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 249 में से 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 247, 248, 444/247 व 445/248 बंटवाडे के जरिये अपीलांट के हिस्से में आई है। उक्त भूमि पुराने खसरा नंबर 78 व 79 से बने हुए है। अपीलांट की उक्त परिवार की भूमियो में आवागमन के लिए रास्ता खसरा नंबर 243, 245 व 442/245 में से होकर उतरी माठ पर पहले से मौके पर मौजूद था, जो मौके के नक्शा व जमाबंदी से स्पष्ट है। अपीलांट के परिवार के सदस्यो से बंटवाडा करवाते समय उक्त रास्ते को रेकर्ड में दर्ज करवाया जा सकता था, जो अपीलांट द्वारा नहीं करवाकर रेस्पोडेन्ट के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 249 में से गलत रूप से रास्ता प्राप्त करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.06.2020 के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांटगण के खेत मे आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी से रास्ता दिलाने का निवेदन किया, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांटगण की खातेदारी आराजी मे आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की स्थिति में केवल सुविधा हेतु धारा 251 ए के तहत रास्ता प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 05.06.2020 एवं धारा 251 ए के मूल प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम लाछडी पटवार हल्का हाडेतर के खसरा नंबर 444/247, 445/248, 247 व 248 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 249 में से 20 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त रास्ते के संबध में तहसीलदार सांचौर से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तहसीलदार ~~सनीवाडा~~ सांचौर ने फर्द मौका दिनांक 14.09.2016 में यह अंकन किया है कि **"खसरा नंबर 247 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 249 में से रास्ता सबसे नजदीक रहेगा एवं प्रार्थी के खेत से** 247 **में जाने हेतु नजदीक दूरी होने से खसरा नंबर 249 में से रास्ता देना उचित है** का अंकन है।"उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दर्शाया है। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट के निवेदन पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांचौर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 के अन्तर्गत **पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा नंबर 232 से आगे** 343 **में व उससे आगे कोई कटाण रास्ता दर्ज नहीं है को अंकन है।** उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत अपीलांटगण की आराजी में स्पष्ट वैकल्पिक रास्ता का अंकन नहीं किया गया है। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट के निवेदन पर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 05.06.2020 को मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसके अन्तर्गत यह अंकन है कि वर्तमान में आवेदक के आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त आवेदक के खेत के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पूर्वी–उतरी कोने से आवागमन करते है जो कि लाछडी से बी. ढाणी सरहद तक रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ते से आवेदक का वैकल्पिक मार्ग है। चाहे गये रास्ते में खसरा नंबर 249 मे कोई कीमती वृक्ष या निर्माण वगैरह नहीं है।" का अंकन है। उक्त मौका रिपोर्ट पर खसरा नंबर 249 के खातेदार यानि रेस्पोडेन्ट द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किये जाने का अंकन है। उक्त समस्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु सर्वोतम रास्ता खसरा नंबर 249 में से दर्शाया है एवं जहां तक वैकल्पिक रास्ते का प्रश्न है तो उक्त मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत वैकल्पिक रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट का पूर्ण अवलोकन किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी मे हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सांचौर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत समस्त मौका रिर्पोटो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु स्पष्ट रूप से केवल मात्र खसरा नंबर 249 से रास्ता दिये जाने का अंकन किया है एव जहां तक वैकल्पिक मार्ग का प्रश्न है तो उक्त मौका रिर्पोटो में अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग दर्शाया गया है उक्त रास्ता पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है एवं इसके अतिरिक्त इसकी दूरी भी अधिक है। इस संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2019(1) डी.एन.जे (राज.) 113 देवाराम व अन्य बनाम मंगूराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 251ए– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 को याचीगण की भूमि से नया रास्ता स्वीकृत किया–अपील व निगरानी खारिज की–रेस्पोडेन्ट्स को स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा कथित वैकल्पिक मार्ग 7 किमी. लम्बाई का है तथा नया मार्ग केवल 2 किमी. लम्बाई में होगा–यह स्वीकार करना कठिन है कि 7 किमी. लम्बाई में मार्ग उपलब्ध है–राजस्वं न्यायालयो के समवर्ती निर्णय–निर्णीत, आदेश न तो मनमाना है न प्रतिकूल है व यथावत रखा।" उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायिक दृष्टान्त में यह स्पष्ट है कि अगर वैकल्पिक रास्ते की दूरी अत्यधिक है तो खातेदार को नया मार्ग कम दूरी का उपलब्ध कराया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत सर्वप्रथम तो अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु जो वैकल्पिक रास्ता दर्शाया गया है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट नही है एवं साथ ही उक्त रास्ते की दूरी भी अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ता पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होने के कारण अन्य पक्षकारो के मध्य वाद–विवाद बढने की पूर्णतया आशंका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की मूल मंशा खातेदार को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता प्रदान किये जाने का है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपूर्ण वैकल्पिक रास्ते को आधार मानते हुए मौका रिपोर्ट का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए की मंशा विपरित जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2016 बउनवान अमरूदेवी व अन्य बनाम लक्ष्मणाराम में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2020 अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को अपनी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम लाछडी पटवार हल्का हाडेतर के खसरा नंबर 444/247, 445/248, 247 व 248 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 249 में से 20 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए उक्त आदेश की तुरन्त पालना की जावे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली